न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 209/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कैलाशदान पुत्र मांगुदान 2. अभयकरण पुत्र मांगुदान जातियान- चारण निवासी कुड़की तहसील- जैतारण जिला-पाली राज0।		1. मांगुदान पुत्र किशोरदान जाति-चारण निवासी कुड़की तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 तारीख रजू:.07/08/2018

उपस्थितः. 1. श्री, राजीव लोचन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री, चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता प्रति0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 27/09/2018

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र हैं। तथा प्रतिवादी शामलाती पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू मुस्तका खानदान की शामलाती कृषि भूमि वाके सरहद मौजा कुड़की तहसील जैतारण में वाके जिसका विवरण निम्नलिखित है कि खसरा नंबर 01 रकबा 18-00 किश्म चाही प्रथम, खसरा न0 02 रकबा 16-18 किश्म चाही दोयम, खसरा न0 03 रकबा 84-08 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 04 रकबा 06-08 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 06 रकबा 11-18 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 07 रकबा 12-18 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 08 रकबा 11-15 किस्म चाही प्रथम, खसरा न. 09 रकबा 12-03 किस्म चाही दोयम, खसरा न0 10 रकबा 11-02 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 11 रकबा 06-01 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 12 रकबा 00-14 किस्म गै0 बेरा, खसरा न0 14 रकबा 15-06 किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 12 कुल रकबा 207-11 बीघा, कुल खसरा न0 12 रकबा 207 बीघा 11 बिस्वा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार के है। सरहद मोजा कुड़की तहसील जैतारण जिला पाली में वाके कृषि भूमि खाता संख्या 272 खसरा न0 5/1 रकबा 165 बीघा 10 बिस्वा चाही प्रथम वाके है इसमें वादी एवं प्रतिवादी का 8/18 हिस्सा है। सरहद मौजा कुड़की में वाके खाता संख्या 244 खसरा न0 13 रकबा 48 बीघा 06 बिस्वा चाही प्रथम वाके है जिसमें वादी प्रतिवादी 1/3 हिस्सा है, बतौर खातेदार काश्तकार के है ऊपर वर्णित भूमि की जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2073 से 2076 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावे, इस पद में वर्णित वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से की भूमि को वाद में आगे वादग्रसत भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी के हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के प्रपिता यानि पीढ़ियों से पैतृक जागीर की भूमि जो वक्त सेंटलमेंट वादी के दादा स्वर्गीय किशोरदान की जागीर पुर्नग्रहण के समय धारा 13 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट खुद काश्त की भूमि होने से खातेदार अधिकार प्राप्त हुए व किशोददान के फौत होने पर यह भूमि मांगुदान के नाम जरिये फौतेदगी के नाम दर्ज हुई व यह वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी की पैतृक पुश्तैनी हिन्दू मुस्तका खानदान की अविभक्त कृषि भूमि जिसमें वादीगण का जन्म से ही हिस्सेदार व सहखातेदार काश्तकार है व मांगूदान का नाम बतौर कर्ता खानदान के मुखिया का नाम दर्ज है। प्रतिवादी मांगूदान के वादी संख्या 01 व 02 दो जायन्दा लड़के है व तीनों का वादग्रस्त भूमि में 1/3 - 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार के है व मौके पर काबिज है व काश्त करते है व वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज नहीं होने से वादीगण कृषि कार्य हेतू किसी बैंक व सरकारी संस्था से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते व न ही के0सी0सी0 जारी करवा सकते है व सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। न ही वादीगण द्वारा कृषि पैदावार की समर्थन मुल्य पर राज्य सरकार को नहीं बैच सकते, न ही बीमा करा सकते हैं इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी की उनके हिस्से की भूमि में वादी संख्या 01 का 1/3 वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी के 1/3 हिस्से के अनुसार नाम बतौर खातेदार काश्तकार का नाम दर्ज

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कराने का दिनांक 05.08.2018 को कहा जिसे प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया गया इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दावा घोषणा का पेश है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 01 का 1/3 व वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के है व इस रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी में दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। वाद घोषणा व वादीगण के हिस्से के भूमि वादी के नाम राजस्व में जमाबंदी, खतोनी में दर्ज होने के बाद वादीगण हिस्से अनुसार काश्त करे या करवाये या इसके मुतालिक काम करे तो इसमें किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व करवाने से वादीगण प्रतिवादी को रूकवाने के अधिकारी है व यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल व दस्तअंदाजी करने की स्थिति में वादीगण प्रतिवादी को ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे जिससे टंटा फसाद होगा। व ऐसा होने पर बार-बार होने पर दीवानी व फौजदारी मुकदमे करने होंगे। जिससे विविध मुकदमें बाजी होगी। जिससे वादी को भारी क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है इसलिए वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। विनायदावा दिनांक 05.08.2018 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण के कहने पर इनका पैतृक पुश्तैनी, शामलाती संयुक्त हिन्दू मुस्तका खानदान की वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने से मना करने पर बमुकाम कुइकी तहसील- जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील चावण्डदान बारहठ ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। राजीनामा में व्यक्त किया कि उपरोक्त अनवान के वाद में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 के बीच में लोक अदालत की भावना व लोगों की समझाईश से राजीनामा कर लिया है। इसलिए वाद की इस्तदुआ के अनुसार वाद को डिक्री कर दिया जावे। जिसमें हम सभी पक्षकारान की सहमति है। राजीनामा में व्यक्त किया कि सरहद मौजा कुइकी में पक्षकारान की शामलाती पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू मुस्तर्का खानदान की कृषि भूमि कुल खसरा 12 कुल रकबा 211-11 बीघा में प्रतिवादी मांगूदान का 1/3 हिस्सा है। उक्त हिस्से में वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी को 1/3, 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित करावे। एवं खसरा नंबर 5/1 रकबा 165-10 बीघा में प्रतिवादी का 8/18 हिस्सा है। उक्त हिस्से में वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी को 1/3, 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित करावे। तथा खसरा नंबर 13 रकबा 48-06 बीघा में प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा है। उक्त हिस्से में वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी को 1/3, 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित करावे। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिशल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने न्यायिक दृष्टान्त सिविल अपील नंबर 7217 OF 2013 प्रस्तुत किया।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय एवं न्यायिक दृष्टान्त पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। वादीगण एवं प्रतिवादी ने सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर अपने-अपने हिस्से अनुसार अर्थात् उक्त आराजी पर काबिज अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर अपने-अपने बंट अनुसार खाता व लगान अलग-अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की है। लिहाजा माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

-::आदेश::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा कुइकी तहसील जैतारण में वाके जिसका विवरण निम्नलिखित है कि खसरा नंबर 01 रकबा 18-00 किश्म चाही प्रथम, खसरा न0 02 रकबा 16-18 किश्म चाही दोयम, खसरा न0 03 रकबा 84-08 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 04 रकबा 06-08 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 06 रकबा 11-18 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 07 रकबा 12-18 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 08 रकबा 11-15 किस्म चाही प्रथम, खसरा न. 09 रकबा 12-03 किस्म चाही दोयम, खसरा न0 10 रकबा 11-02 किस्म चाही प्रथम, खसरा न0 12 रकबा 00-14 किस्म गै0 11 रकबा 06-01 किस्म चाही प्रथम,

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बेरा, खसरा न0 14 रकबा 15-06 किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 12 कुल रकबा 207-11 बीघा, कुल खसरा न0 12 रकबा 207 बीघा 11 बिस्वा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी मांगूदान का 1/3 हिस्से में वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का एवं खसरा नंबर 5/1 रकबा 165 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही प्रथम में प्रतिवादी मांगूदान का 8/18 हिस्सा में वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 13 रकबा 48 बीघा 06 बिस्वा किस्म चाही प्रथम में प्रतिवादी मांगूदान का 1/3 हिस्से में वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावे। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज0)
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 27/09/2018 को खुले ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज0)
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner